बिहार महादलित विकास मिशन

विकास मित्र चयन : मेधा सूची प्रपत्र – 1

जाति (बहुलता) –

पंचायत / वार्ड समूह (कलस्टर)(शहरी) स्तरीय प्रपत्र

जिला : प्रखंड / नगर निकाय : पंचायत / वार्ड समूह (कलस्टर)(शहरी):

क्रम संख्या	आवेदक / आवेदिका का नाम	**पिता/पति** का नाम	जन्म तिथि	पूर्णांक (अधिकतम अंक)	प्राप्तांक	अंकों का प्रतिशत	अभियुक्ति

प्रभारी / प्रखंड कल्याण पदाधिकारी

प्रखंड विकास पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी

बिहार महादलित विकास मिशन

विकास मित्र चयन : चयन सूची प्रपत्र – 2

जिला :   प्रखंड / नगर निकाय :

क्रम संख्या	पंचायत / वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी)	जाति (बहुलता)	आवेदक / आवेदिका का नाम	**पिता/पति** का नाम	जन्म तिथि	प्राप्त अंकों का प्रतिशत	अभियुक्ति

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी   अनुमंडल पदाधिकारी

बिहार महादलित विकास मिशन

विकास मित्र चयन : नियोजन सूची प्रपत्र – 3

जिला :   प्रखंड / नगर निकाय :

क्रम संख्या	पंचायत / वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी)	जाति (बहुलता)	आवेदक / आवेदिका का नाम	**पिता/पति का नाम**	जन्म तिथि	प्राप्त अंकों का प्रतिशत	अभियुक्ति

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी   अनुमंडल पदाधिकारी

बिहार महादलित विकास मिशन

विकास मित्र प्रपत्र – 4

नियोजन पत्र

श्री / श्रीमति : ———————————————————————————

पिता / पति का नाम : ———————————————————————————

ग्राम : ———————————————————————————

पोस्ट : ———————————————————————————

पंचायत / वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) : ———————————————————————————

प्रखंड / नगर निकाय : ———————————————————————————

अनुमंडल : ————————————— जिला : ——————————

आपको सूचित किया जाता है कि बिहार महादलित विकास मिशन, पटना, के पत्रांक ———— दिनांक ————— के आलोक एवं दिनांक —————— को प्रकाशित चयन सूची के आधार पर आपका चयन पंचायत / वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) ——————————प्रखंड / नगर निकाय ———————— अनुमंडल ———————— जिला —————————————— में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर संविदा आधारित नियोजन '**विकास मित्र** के रुप में किया जाता हैः–

1. विकास मित्र अपने कार्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रशासन एवं लाभुकों के बीच कड़ी का कार्य करेंगे।
2. विकास मित्र का संविदा पर नियोजन 11 (ग्यारह) महीनों के लिये किया गया है। संतोषप्रद कार्य के आधार पर मिशन द्वारा पुनः नियोजन पर निर्णय लिया जा सकता है।
3. विकास मित्र सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे तथा नियोजन के पश्चात् उनका चरित्र एवं कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में अनुमंडल या जिला परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर नियोजन समाप्त करने की कार्रवाई जिला परियोजना पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।
4. प्रत्येक विकास मित्र को प्रतिमाह 3,000 / – (तीन हजार) रुपये मानदेय, प्रखंड मिशन कार्यालय से किया जाएगा।
5. संविदा आधारित नियोजित विकास मित्र द्वारा दी गयी जानकारी / प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर उनका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा।

स्थान ——————

दिनांक ——————

अनुमंडल पदाधिकारी

बिहार महादलित विकास मिशन

विकास मित्र प्रपत्र – 7

शपथ पत्र

1. मैं ——————————————, पुत्र/पुत्री ——————————————, जिला ——————————————————————————, प्रखंड/नगर निकाय ——————————————————————, पंचायत/वार्ड समूह (शहरी) ———————————————— के विकास मित्र के रुप में ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूॅ कि मैं अपनी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने क्षेत्र के सभी महादलितों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार एवं लाभार्थी के बीच एक कड़ी का काम करुॅगा/करुॅगी।

2. मैं अपने कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी भाई एवं बहनों को एक समान समझॅूगा और जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करुॅगा/करुॅगी।

3. मैं बिहार महादलित विकास मिशन एवं सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरी लगन, निष्ठा एवं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पूरा करुॅगा/करुॅगी।

नोटः– यह शपथ पत्र विकास मित्र नियोजन समिति के अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिलाया जाना अपेक्षित है।

शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम

1. अनुमंडल स्तर पर आयोजित अनुमंडल स्तरीय उन्मुखी कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों द्वारा निर्धारित नियोजन प्रपत्र–4 के अनुसार नियोजन पत्र का वितरण।
2. चयनित विकास मित्रों का विकास मित्र नियोजन समिति के अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित संलग्न शपथ प्रपत्र–7 के आधार पर शपथ ग्रहण करवाना।
3. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विकास मित्र के कार्य एवं दायित्व से विकास मित्रों को अवगत कराएगें। (कार्य एवं दायित्व संलग्न)
4. प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास संबंधी योजनाओं से अवगत करवाएगें।
5. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं से अवगत करवाएगें।